

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पशु संपत्तियों के सन्दर्भ में नयियों का एक नया मसौदा जारी किया गया

गौरतलब है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (Ministry of Environment & Forests) द्वारा देश के पशुधन बाजारों को वनियमित करने तथा व्यापारियों एवं अवैध तस्करी द्वारा अधगृहित पशु संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नयियों का एक नया मसौदा प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि पशुधन बाजार एवं देखभाल तथा पशु संपत्तियों के रखरखाव संबंधी नयियों 2016 (The Regulation of Livestock Markets and Care and Maintenance of Case Property Animals Rules, 2016) के वनियमन के तहत, पहली बार, पशु संपत्ति मामलों एवं पशु बाजारों की स्थापना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस नए मसौदे के अंतर्गत पशुधन बाजारों (Animal Markets) को वनियमित करने के साथ-साथ पशुओं पर किसी तरह का नशान लगाने अथवा उनकी ब्रांडिंग करने (Branding of Animals), उन पर चिह्नकारी करने तथा उन्हें आभूषण पहनाने पर भी नषिध (Prohibition) है।
- इसके अतिरिक्त, कई अनविरय नयियों को लागू करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त वषिय के संबंध में जब तक मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है, (मामले से संबंधित पशुओं को) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals) के अंतर्गत गौशालाओं (Cow shelters) अथवा पशु कल्याण संगठनों (Welfare Organizations) को सौंप दिया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि इन नए मसौदा नयियों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, देश के प्रसिद्ध पशुधन बाजारों एवं मेलों (राजस्थान के पुष्कर तथा बहिर में सोनपुर) में इन नयियों को वनियमित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश में, पशुधन तथा पशुधन बाजारों के वषिय में ऐसा कोई महत्वपूर्ण वनियमन उपस्थिति नहीं है। हालाँकि वृहद् पशु संख्या धारक देश होने के बावजूद भारत में पशुओं की खरीद-फरोख्त के वषिय में बना किसी औपचारिक दस्तावेज़ी प्रक्रिया (Formal Documentation) के ही पशु-व्यापार किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि इन नयियों के प्रभाव में आने के पश्चात् पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत ज़िला प्रशासन (District Authorities) तथा अन्य राज्य-स्तरीय समितियों (State-level Societies) द्वारा पशु वपिनन निगरानी समितियों (Animal Marketing Monitoring Committees) तथा पशु बाजार समितियों (Animal Market Committees) का गठन किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त कुछ अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, पशुओं के रहने के लिये बेहतर आवास, पोषक तत्वों से भरपूर चारे, पीने का पानी, गर्भ धारण करने वाले पशुओं के लिये आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के साथ-साथ कमज़ोर, वृद्ध, युवा एवं गर्भवती पशुओं के रहने के लिये पृथक बाड़ों की भी व्यवस्था की जाएगी।
- इतना ही नहीं बल्कि पशु चिकित्सकों के द्वारा संक्रामक रोगों से संक्रमित पशुओं का उचित उपचार एवं देखभाल भी की जाएगी।

पशु तस्करी के वषिय में जाँच-पड़ताल

- गौरतलब है कि इन नयियों के अंतर्गत पशु तस्करी से संबंधित मामलों की जाँच-पड़ताल करने के लिये कुछ विशेष उपबंध भी किये गए हैं। यथा; किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर तथा राज्य सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर पशु बाजार लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ध्यातव्य है कि भारत-बांग्लादेश तथा भारत-नेपाल की सीमा पर बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी की जाती है।
- पशु कार्याकरताओं के अनुसार, उक्त नयियों के लागू होने के पश्चात् पशुओं के इस अवैध व्यापार को रोकने में मदद मिलने की संभावना है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में पशु बाजार एक बहुत ही अनियमित बाजार है, जिसका एक अहम भाग कसाई बाजार (Butchers Market) है।

पशु संपत्तियों के भवषिय का मामला

- उपरोक्त नयियों में, पशु संपत्ति मामलों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक ऐसा कोई मामला अदालत के अधीन रहता है तब तक मामले से संबंधित पशुओं की देखभाल एवं रखरखाव में होने वाले सभी खर्चों को अवैध गतिविधि में शामिल तत्त्वों के द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- यदि अवैध गतिविधियों में शामिल तत्त्वों पर अपराध सिद्ध हो जाता है तो इन पशुओं को संबंधित गौशालाओं अथवा पशु कल्याण संगठनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
- उक्त नयियों के अनुसार, इन गौशालाओं एवं पशु कल्याण संगठनों में रहने वाले स्वस्थ पशुओं को आम लोगों को गोद भी दिया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक अस्वस्थ एवं गंभीर रूप से बीमार पशुओं को यहाँ भरती करने के साथ-साथ उनकी बेहतर तरीके से देखभाल भी सुनिश्चित की जा सके।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/in-the-case-of-animal-by-moef-property-a-new-draft-rules-released>

